DAINIK JAGRAN, Prayagraj, 27.5.2020
Page No. 11, Size:(17.81)cms X (12.71)cms.

श्रमिकों को उपभोक्ता संरक्षण कानून से मिल सकती है राहत

जेएनएन, लखनऊ: श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे श्रमिकों-कामगारों-विद्यार्थियों को यात्रा में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है एक दिन का सफर चार दिन में पूरा हो रहा है। जिस ट्रेन को गोरखपुर जाना था वह ओडिशा पहुंच रही है । ट्रेनों में पानी नहीं है, भोजन नहीं है जिसके चलते यात्री बीमार हो रहे हैं। कुछ लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा है। टिकट खरीद कर रेलवे से सुविधा लेने वाले इन यात्रियों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत राहत मिल सकती है।

उप्र राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजेंद्र सिंह के अनुसार जो सेवा शुल्क देकर ली जाती है नियमानुसार उसमें कमी होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दावा किया जा सकता है। उपभोक्ता मामलों के जानकार

> श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों से सीधे तौर पर भले टिकट का पैसा नहीं लिया गया। लेकिन केंद्र व राज्य सरकार वेलफेयर स्कीम के तहत लोगों को मुफ्त में यात्रा करा रही है। आम नागरिकों को यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद-4 के तहत मिला है। सरकार टैक्स के रूप में जनता से जो पैसा लेती है, यातायात सहित अन्य सुविधाएं मुफ्त में उसी के तहत दी जा रही। ऐसे में वह हर गड़बड़ी को कोर्ट में चुनौती दे सकता है।
>
> -अनिल तिवारी, पूर्व अध्यक्ष, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन

ट्रेनों में अव्यवस्था

लखनऊ के अधिवक्ता ऋषि सक्सेना का कहना है कि शुल्क देकर सेवा लेने वाला उपभोक्ता माना जाता है। रेलवे हो, हवाई यात्रा हो या बीमा हो सभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आते हैं। श्रमिक कामगार भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर्जाने के लिए दावा कर सकते हैं।

श्रमिकों को मिली परेशानी मानवाधिकार का उल्लंघन : वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र कहते हैं कि श्रमिकों को मिली परेशानी मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। अधिवक्ता रविकिरन जैन बोले, यात्रियों को सुविधा से गंतव्य तक न पहुंचाना उनका शोषण है।

DAINIK BHASKAR, Jaipur, 27.5.2020
Page No. 9, Size:(10.86)cms X (3.23)cms.

लॉकडाउन में घरेलू बिजली का बिल वसूलना गलत, मानवाधिकार में परिवाद

जयपुर |पूर्व उपमहापौर मनीष पारीक ने लॉक डाउन अवधि में बिजली के बिल की राशि वसूलना मानवाधिकार का हनन बताते हुए आयोग के अध्यक्ष को परिवाद एवं मुख्यमंत्री को शिकायती ईमेल किया है। पारीक ने बताया कि राज्य की जनता सरकारी आदेश से लॉक डाउन का पालन कर रोजगार छोड़ घरों में बंद है, ऐसे हालत में बिजली बिल का भुगतान भी सरकार को करना चाहिए। संविधान में अनुच्छेद 21 के जरिये सभी को गरिमामय जीवन व्यतीत करने का मूलभूत अधिकार दिया गया है तथा आज की परिस्थितियों में बिजली एक मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 27.5.2020
Page No. 4, Size:(4.63)cms X (17.89)cms.

आपदा में बढ़ जाते हैं मानवाधिकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : श्रमिकों को विभिन्न राज्यों में ले जाने के दौरान उन्हें खाने से लेकर पानी तक की समस्या हुई है। यह मानवाधिकारों ही नहीं उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। इसे लेकर ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने विभिन्न राज्यों में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है।

संस्था से जुड़े अधिवक्ता गुंजन सिंह ने कहा कि श्रमिकों से लेकर छात्रों तक सभी को गृह क्षेत्र पहुंचने में परेशानी हो रही है। यह सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता है, जिसमें लोगों के जीने से लेकर खाने और स्वच्छ जल पीने के अधिकारों तक की अनदेखी हुई है। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस मामले को संज्ञान लेकर दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से सेवानिवृत्त संयुक्त रजिस्ट्रार अनिल कुमार पराशर कहते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू होने पर व्यक्ति के अधिकार और बढ़ जाते हैं। ऐसे मामलों पर संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, कई मामलों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान भी लिया। दिल्ली स्टेट एंड जिला कंज्यूमर कोर्ट प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के सचिव निखिलेश जैन कहते हैं कि रेलवे राज्य और केंद्र सरकार से मिलकर लोगों को ट्रेन से गृह राज्य पहुंचा रही है। ऐसे में उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत की जा सकती है।